

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनाकर्ता, परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर को धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत धरमजयगढ़-कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु 10.465 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date : 06 -03-2023

Place : Raipur

Name

Designation

Signature



(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Dept. of Forest & Climate Change
M. Chhatrapati, Nawa Raipur

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-27/2022/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7/03/2023

प्रति,

✓ वनमहानिरीक्षक,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषय: — Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for Rehabilitation – Upgrading of Dharmjaigarh Kapu road area 10.465 ha. – regarding.

संदर्भ:— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-844/2845, दिनांक 07.12.2022 तथा पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-844/311, दिनांक 09.02.2023 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र — परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक ग्राम ग्वारघुटरी पी.एफ. 355, रकबा 0.311 हे., पी.एफ. 360 रकबा 0.213 हे., मिरिगुडा पी.एफ. 354 रकबा 0.626 हे. परिक्षेत्र बोरो के कक्ष क्रमांक ग्राम नकना आर.एफ. 641 रकबा 0.462 हे. और खम्हार आर.एफ. 629 रकबा 0.486 हे. परिक्षेत्र कापू के कक्ष क्रमांक ग्राम सोनपुर आर.एफ. 80 रकबा 1.762 हे. और आर.एफ. 35 रकबा 1.773 हे. कुल रकबा 5.633 हे. वन भूमि एवं धरमजयगढ़ तहसील के धरमजयगढ़ में खसरा क. 1303/1क रकबा 0.434 हे., 1303/1क/1 रकबा 0.650 हे, 1310/1क/1 रकबा 0.344 हे., 1311/1क/1 रकबा 0.902 हे. ग्राम मिरिगुडा में खसरा क. 558/1क रकबा 0.830 हे., 558/9क एवं 560/1क रकबा 1.132 हे., 209/1क रकबा 0.540 हे. कुल रकबा 4.832 हे. राजस्व वन भूमि कुल रकबा 10.465 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि में धरमजयगढ़-कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है ।	1 – 7
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) — वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक-FP/CG/ROAD/43587/2019 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.01.2020 के आधार पर की जाती है । पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18000 रुपये जमा कराया गया है ।	8 – 11

रजि

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
3	वन क्षेत्र का विवरण — धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक ग्राम ग्वारघुटरी पी.एफ. 355, रकबा 0.311 हे., पी.एफ. 360 रकबा 0.213 हे., मिरिगुडा पी.एफ. 354 रकबा 0.626 हे. परिक्षेत्र बोरो के कक्ष क्रमांक ग्राम नकना आर.एफ. 641 रकबा 0.462 हे. और खम्हार आर.एफ. 629 रकबा 0.486 हे. परिक्षेत्र कापू के कक्ष क्रमांक ग्राम सोनपुर आर.एफ. 80 रकबा 1.762 हे. और आर.एफ. 35 रकबा 1.773 हे. कुल वन भूमि रकबा 5.633 हे. वन भूमि एवं धरमजयगढ़ तहसील के धरमजयगढ़ में खसरा क्र. 1303/1क रकबा 0.434 हे., 1303/1क/1 रकबा 0.650 हे., 1310/1क/1 रकबा 0.344 हे., 1311/1क/1 रकबा 0.902 हे. ग्राम मिरिगुडा में खसरा क्र. 558/1क रकबा 0.830 हे., 558/9क एवं 560/1क रकबा 1.132 हे., 209/1क रकबा 0.540 हे. कुल राजस्व वन भूमि रकबा 4.832 हे. कुल वन एवं राजस्व वन भूमि रकबा 10.465 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि में धरमजयगढ़—कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	12 — 13
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण — प्रस्तावित धरमजयगढ़—कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 35.441 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	14 — 15
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर — प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	16 — 20
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप — वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	21 — 29
7	प्रपत्र — 4 में प्रस्ताव — प्रपत्र-4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 10.465 हे. वन/राजस्व भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 140.71 करोड़ बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.5 है।	30 — 38
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप — विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है।	39 — 47
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र — यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	48 — 49
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र — प्रस्तावित परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़—कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है। प्रत्यावर्तन हेतु मांग न्यूनतम है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	50 — 51
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र — धरमजयगढ़—कापू मार्ग रकबा 10.465 हे. का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन/राजस्व क्षेत्र प्रस्तावित हो रहा है। अतः पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।	52 — 71
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र—अ एवं ब में) — धरमजयगढ़—कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन/राजस्व भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु 1970 नग वृक्ष एवं 27 नग बांस भिरा का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।	72 — 150
13	कास्ट, बेनिफिट एनालिसिस — प्रस्तावित परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान एवं वनमंडलाधिकारी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	151 — 158

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल/मानचित्र/सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)-राजस्व वन क्षेत्र - वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पोंडीछाल, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के कुधरीखार नारंगी वनखण्ड खसरा क. 36/1 परिक्षेत्र छाल, वनमंडल धरमजयगढ़ में कुल रकबा 65.280 हे. में से 16.699 हे. एवं नारंगी वनखण्ड सिथरा खसरा नं. 69/1 कुल रकबा 11.780 हे. में से 6.538 हे. भूमि का चयन किया गया है। चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि के विवरण की आवश्यकता नहीं है।	159 – 160
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा - प्रकरण में गैर वन क्षेत्र के आस-पास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।	161 – 162
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना - वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पोंडीछाल, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के कुधरीखार नारंगी वनखण्ड खसरा क. 36/1 परिक्षेत्र छाल, वनमंडल धरमजयगढ़ में कुल रकबा 65.280 हे. में से 16.699 हे. एवं नारंगी वनखण्ड सिथरा खसरा नं. 69/1 कुल रकबा 11.780 हे. में से 6.538 हे. भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र अक्षांश, देशांश प्रजाति विवरण सहित) योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।	163 – 211
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र - आवेदित वन भूमि 10.465 हे. क्षेत्र के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र छाल के परिसर बंगरसुता में नारंगी वनखण्ड, कुधरीखार खसरा नं. 36/1 रकबा 16.699 हे. एवं परिसर खडगांव में नारंगी वनखण्ड केराकोना (सिथरा) खसरा नं. 69/1 रकबा 6.538 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	212 – 213
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण - वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	214 – 215
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण - बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	216 – 217
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही - बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	218 – 219
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र - छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़-कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है।	220 – 224
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान - परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़-कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अतः कैचमेंट, ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।	225 – 226
23	रिक्लेमेशन प्लान - परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़-कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अतः रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	227 – 228

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	229 – 230
25	व्यवस्थापन प्लान – प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	231 – 232
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – प्रपत्र-3 पर वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा दिनांक 09.03.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 27.06.2022 से भाग-3 पर अनुशंसा की गई है।	233 – 241 एवं 241 ए
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़-कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. पर कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	242 – 244
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित ग्राम खम्हार, ग्राम मिरीगुड़ा, ग्राम ग्वारघुटरी, ग्राम नकना, ग्राम सोनपुर तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के वन/राजस्व भूमि प्रभावित है। तदाशय का सरपंच ग्राम पंचायत खम्हार, मिरीगुड़ा, ग्वारघुटरी, नकना एवं सोनपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	245 – 278
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल की कुल अधिसूचित वनभूमि 171341.900 हे. है।	279 – 280
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ अंतर्गत कुल स्वीकृत प्रकरण में 419.433 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	281 – 282
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया है।	283 – 284
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़-कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी अभ्यारण्य लेमरु हाथी रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत है तथा किसी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह अथवा मूर्ति नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	285 – 286
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	287 – 288
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर जिला रायगढ़ के दिनांक 30.11.2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	289 – 295

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है। अतः कलेक्टर जिला रायगढ़ का दिनांक 25.07.2019 से जारी राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	296 – 299
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	300 – 301
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd Stage Clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	302 – 303
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – आवेदित क्षेत्र में ग्रेनाइट नीस, सिस्ट फिलाईट बेसिक अल्ट्रा बेसिक शैल शामिल है। सिस्ट वर्ग के चट्टानों में बायोटाईट सिस्ट, क्लोराईट माईकासिस्ट आदि पाई जाती है। वनस्पति विकास दर सामान्य है। यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	304 – 305
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया है।	306 – 307
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	308 – 309
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – बिन्दु क्रमांक -2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	310 – 313
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – प्रस्तावित परियोजना हेतु आवश्यक नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।	314 – 315
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	316 – 317
44	प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण – संलग्न है।	318 – 319

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: – प्रस्ताव 1 प्रति में।

Reginald
3.3.23

(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-27/2022/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

/03/2023

प्रतिलिपि:-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 - 4.परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट), छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग